भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3936

(दिनांक 04.04.2025 को उत्तर देने के लिए)

क्रिएटर इकोनॉमी के लिए धन का आवंटन

3936. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार क्रिएटर इकोनॉमी के विकास के लिए 1 बिलियन डॉलर की निधि आवंटित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस निधि तक पहुंचने के लिए क्रिएटर्स के लिए आवंटन मानदंड और पात्रता आवश्यकताएं क्या हैं, और सरकार निधि का निष्पक्ष और पारदर्शी वितरण किस प्रकार से सुनिश्चित करेगी: और

(ग) विशेषकर छोटे और उभरते कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सरकार किस तरह से इन निधियों में पारदर्शिता और समान पहुंच सुनिश्चित करने की योजना बना रही है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) टास्क फोर्स रिपोर्ट 2022 की सिफारिशों के अनुसार, इस सेक्टर हेतु एक समर्पित कोष बनाने की आवश्यकता है। इस निधि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाना प्रस्तावित है, जैसे इनक्यूबेशन हब और आर एंड डी एवं विकास सुविधाओं को सहायता, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का निर्माण, स्टार्ट-अप सीड फंड की स्थापना, पीपीपी परियोजनाओं को पूंजी और प्रचालन सहायता प्रदान करना, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना, नई प्रौद्योगिकी पायलट परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण, शिक्षा, कौशल, सामग्री निर्माण और उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुंच हेतु सहज बनाना।

****